

20.10.23 वकील वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते अन्तर्गत  
 द्वारा 15।C.P.C. के तहत पत्र खली कम कर  
 राजस्व वाद विद्रो करने वास्तु पेश किया।  
 प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुसार उक्त राजस्व वाद  
 में वादीराण ओगे कोर्ट कार्यवाही नहीं चाहते  
 हैं, जिसके कारण उक्त राजस्व वाद को विद्रो  
 करना चाहते हैं।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन  
 किया एवं वादी, वकील वादी को सुना। धुंकि वादी-  
 राण द्वारा उक्त राजस्व वाद में कोर्ट कार्यवाही नहीं  
 चाही जा रही है। अतः उक्त वाद को विद्रो करने के  
 आदेश दिये जाते की पत्र खली फ़ैसल शुमार होकर  
 नम्बर से कम होगा

—

20.10.23

उपखण्ड अधिकारी  
 रूपनगढ़ (अजमेर)

